न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 53/2015

1 विक्रम सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
2 विरेन्द्र पाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
3 अजीत सिंह पुत्र कल्याण सिंह।
4 श्रीमती कृष्णा कंवर पत्नी कल्याण सिंह।
5 सन्दीप सिंह पुत्र भंवर सिंह।
6 दीपक सिंह पुत्र भंवर सिंह।
7 विधा कंवर पत्नी भंवर सिंह।
8 बजरंग सिंह पुत्र नत्थू सिंह पौत्र महताब सिंह।
9 बालूसिंह पुत्र नत्थूसिंह पौत्र महताब सिंह।
10 धर्मपाल सिंह पुत्र नत्थूसिंह पौत्र माहताब सिंह समस्त जाति राजपूत।
11 कैलाशचन्द पुत्र बनवारीलाल पौत्र गीदाराम।
12 मातादीन पुत्र बनवारीलाल पौत्र गीदाराम समस्त जाति महाजन निवासीगण बड़बर तहसील बुहाना जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 संतोष कुमार पुत्र श्यामसुन्दर जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल श्री श्याम कुन्ज 10 मेहसाना कॉलोनी हाउसिंग सोसायटी ली. चैनई बाग नानावास रोड़ अहमदाबाद गुजरात।
2 कुसुम पुत्री श्यामसुन्दर पत्नी मुरारीलाल जाति महाजन निवासी बिसाऊ जिला झुंझुनू हाल समुद्रा बिला 6ए पाण्डतीया रोड़ होप फाउण्डेशन के सामने कोलकाता 700029।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.04.2013
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना उनवानी
संतोष कुमार बनाम कुसुम आदि दावा घोषणात्मक
रिकार्ड दुरूस्ती मुकदमा नम्बर 18/2013

उपस्थिति :

1. श्री झाबर सिंह शेखावत, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विजयपाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

—निर्णय—

दिनांकः—13.5.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बुहाना द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2013 में पारित निर्णय दिनांक 01.04.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट ने ग्राम बड़बर तहसील बुहाना की भूमि खसरा नम्बर 807, 809 के संदर्भ में घोषणा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 96 व धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद विचारण न्यायालय में दिनांक 22.11.2012 से लंबित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष दिनांक 05.04.2013 को उपस्थित हो चुका है। इस दावे के लंबित रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इसी भूमि के संदर्भ में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन वाद प्रस्तुत कर दावा डिक्री करवा लिया है। विधि अनुसार पूर्व वाद के लंबित रहते नवीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार है। अतः धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जावें। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय की जानकारी नहीं थी अतः धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि रेस्पोडेन्ट की पैत्रिक है। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने पैतृक आधार पर वाद प्रस्तुत किया था। अपीलांट का वाद कब्जे के आधार पर है। विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं है। विचारण न्यायालय ने वाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपील मियाद बाहर है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के संदर्भ में अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मध्य घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व रिकार्ड दुरूस्ती का वाद विचारण न्यायालय में दिनांक 22.11.2012 से लंबित है। जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 संतोष दिनांक 05.04.2013 को उपस्थित हो चुका है। इस दावे के लंबित रहते रेस्पोडेन्ट संख्या 1 इसी भूमि के संदर्भ में अपीलांट को पक्षकार संयोजित किये बिना विचाराधीन वाद प्रस्तुत कर दावा डिक्री करवा लिया है। विधि अनुसार पूर्व वाद के लंबित रहते नवीन वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। न्यायहित हो दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है। उपरोक्त विवेचन से अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना साबित है अतः धारा 96 का आवेदन स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि इस वाद को पूर्व वाद के साथ समेकित कर विधिक प्रकिया अनुसार सुनवाई कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.06.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 13.5.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धीजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर